To
The Joint Secretary
Dept. of School Education-2, MHRD
Shastri Bhawan, Delhi-110001

Subject: Recommendation for National Education Policy-2016

Sir/Ma'am

We have organized a workshop of teachers and teacher educators of D.El.Ed. (ODL) Programme on 24th-25th September, 2016 at Rajgir (Bihar) to discuss the draft recommendations of National Education Policy-2016.

Please find the attached documents about our suggestions and recommendations.

Regards

27.9.16

Dr. S. A. Moin
Director, Directorate of Distance Education
SCERT, Bihar

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2016 (प्रारूप) पर सुझाव एवं अनुशंसाएँ

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय (राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार) द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (ओपेन एंड डिस्टेंस लर्निंग) कार्यक्रम के विभिन्न स्टेकहोल्डरों की एक समीक्षा कार्यशाला का आयोजन दिनांक 24–25 सितम्बर, 2016 को राजगीर (बिहार) में किया गया। इस कार्यशाला में प्रतिभागी के तौर पर प्रारम्भिक विद्यालय के प्रशिक्षु शिक्षक व शिक्षिकाएं, शिक्षक–प्रशिक्षकगण, राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय साधनसेवी, एस.सी.ई.आर.टी. व यूनिसेफ प्रतिनिधि, ओ.डी.एल. कार्यक्रम की व्यवस्था से जुड़े कर्मी, आदि ने भाग लिया (सूची संलग्न)। कार्यशाला के पहले दिन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 (प्रारूप) के निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :

4.1 पूर्व विद्यालयी शिक्षा

4.2 बाल और किशोर शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा

4.3 स्कूली शिक्षा में सीखने के परिणाम

4.4 स्कूली शिक्षा

4.6 समावेशी शिक्षा और छात्र सहायता

4.8 शिक्षा में कौशल और रोजगार योग्यता

4.9 शिक्षा में आई.सी.टी. का उपयोग

4.10 शिक्षक विकास और प्रबंधन

4.11 शिक्षा में भाषा और संस्कृति

4.13 स्कूल आकलन और अभिशासन

उक्त विषयों पर निर्धारित समूहों के विचार विमर्श एवं प्रस्तुतिकरण से उभरे बिन्दुओं को सुझाव व अनुशंसाओं के रूप में प्रेषित किया जा रहा है जो निम्न वर्णित हैं :

4.1 पूर्व विद्यालयी शिक्षा

1. 4–5 आयु वर्ग न होकर 3–5 आयु वर्ग नामांकन के लिए होनी चाहिए। यह नामांकन आई.सी.डी.एस. की प्रक्रिया से अलग रखी जाए जिसका फोकस बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी (School Readiness) पर हो।
2. पूर्व प्राथमिक स्कूली बच्चों के स्कूल जाने की समय सीमा राज्यों पर न छोड़कर केन्द्र आधारित होनी चाहिए।
3. शिक्षा का अधिकार की तरह 25 प्रतिशत नामांकन का आरक्षण पूर्व–विद्यालयी शिक्षा के लिए भी गैर सरकारी संस्थानों में की जानी चाहिए।
4. पूर्व–प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण डी.एल.एड. के तर्ज पर किया जाना चाहिए।

4.2 बाल एवं किशोर शिक्षा अधिकारों की सुरक्षा

1. बालश्रम निषेध को भी इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए।
2. बढ़ती उम्र के लड़के एवं लड़कियों की किशोरावस्था सम्बंधी समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्तावित काउन्सलरों की व्यवस्था में यह ध्यान में रखा जाए कि लड़के/पुरूष–अभिभावकों तथा लड़कियों/महिला–अभिभावकों के लिए क्रमशः पुरूष एवं महिला काउन्सलरों की अलग–अलग व्यवस्था हो।
3. शैक्षिक संस्थानों में शारीरिक उत्पीड़न, शारीरिक शोषण, छेड़खानी आदि जैसे मामलों में और कठोर दण्ड का प्रावधान हो।
4. पूर्व प्राथमिक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षणों में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् की भूमिका सुनिश्चित की जाए।

4.3 स्कूली शिक्षा में सीखने के परिणाम

1. परीक्षा प्रणाली को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जोड़ते हुए पहली कक्षा से ही लागू किया जाना चाहिए, जिसमें पहली कक्षा में मौखिक तथा ऊपर की कक्षाओं में मौखिक एवं लिखित दोनों तरह की परीक्षाएं होनी चाहिए।
2. पाठ्यचर्या का निर्माण स्थानीय स्तर पर होना चाहिए।
3. विद्यालयों में ई–संसाधनों की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

4.4 स्कूली शिक्षा

1. समान शिक्षायी नीति एवं समान विद्यालयी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, जिनमें निजी एवं सरकारी विद्यालयों के स्तर में समरूपता रखी जानी चाहिए।
2. पाठ्यपुस्तकों के साथ–साथ विद्यालयी शिक्षा में कौशल विकास पर भी जोर दिया जाए, जो स्थानीय पाठ्यचर्या के अनुरूप हो।
3. केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय का विस्तार कर भिन्नता उत्पन्न न करते हुए समान विद्यालयी प्रणाली एवं उच्चतम मानक निर्धारित कर राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों को भी उनके समकक्ष किया जाना चाहिए।
4. मुक्त विद्यालयी पद्धति में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कक्षा एवं मुक्त शिक्षा को समायोजित किया जाना चाहिए।
5. शिक्षकों के शैक्षिक कौशलों के विस्तार तथा परिष्करण पर जोर दिया जाए एवं उन्हें अन्य गैर–शैक्षणिक व अव्यवहारिक प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखा जाना चाहिए।
6. मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शिक्षकों पर न थोपी जाए बल्कि इसे स्वयं–सहायता समूह या सम्बद्ध विद्यालय के पूर्व–छात्र संगठन, माता समिति को दिया जाना चाहिए।

4.6 समावेशी शिक्षा और छात्र सहायता

1. आर्थिक रूप से अभिवंचित एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सभी बच्चों के लिए पंचायत स्तर पर पूर्णतः आवासीय सभी सुविधाओं से सम्पन्न विद्यालय खोले जाने चाहिए। ताकि, घर के विपन्न वातावरण भी बच्चों की पढ़ाई को बाधित या प्रभावित न कर सके। ऐसा करने से माता–पिता के साथ पलायन करनेवाले बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होगी।
2. ऊपर वर्णित श्रेणी के सभी बच्चों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के बाद उनके कौशल विकास की भी व्यवस्था की जाए ताकि उनका भटकाव गलत रास्ते की ओर नहीं हो।
3. दिव्यांग बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में स्थायी रूप से प्रशिक्षित शिक्षक के साथ सम्बंधित आवश्यक पाठ्य एवं सहायक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
4. स्थानीय भागीदारी से विद्यालयों में समता एवं समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य–योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

4.8 शिक्षा में कौशल और रोजगार योग्यता

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर कौशल आधारित विद्यालयों का अधिकाधिक निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें बालिकाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. कौशल आधारित पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो काम की दुनिया और ज्ञान की दुनिया के बीच फर्क न रखे बल्कि सेतु का काम करे।

4.9 शिक्षा में आई.सी.टी. का उपयोग

1. विद्यालयी शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग अति आवश्यक है। अतः इसके उपयोग को स्कूलों को अलग–अलग श्रेणियों में न बांटते हुए सभी स्कूलों की कक्षाओं में इसके प्रयोग को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि शिक्षक और बच्चे दोनों दुनिया में चल रहे नयी जानकारी एवं विभिन्न प्रकार के नवाचारों से अवगत हो पाएं।

4.10 शिक्षक विकास और प्रबंधन

2. सरकार के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि सभी शिक्षक समान पद और प्रतिष्ठा के साथ विद्यालय के लिए समर्पित हों। विभिन्नता शिक्षकों के आजीविका को प्रभावित न करे।
3. विद्यालय प्रबंधन समिति में प्रधानाध्यापक एवं वरीय शिक्षकों के अलावे सभी शिक्षकों के लिए उतरदायित्य नियत की जानी चाहिए।
4. प्रत्येक विद्यालयों में अभिलेख संधारण एवं वित्तिय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अलग पद सृजित कर उस पद पर योग्य एवं समर्थ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालयों में कक्षावार 30:1 के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति अतिशीघ्र की जानी चाहिए।

6. अन्य सेवाओं की तरह, शिक्षकों को भी अपने योग्यता उन्नयन तथा क्षमता सम्वर्धन हेतु सरकार की ओर से सवैतनिक अवकाश एवं अन्य सुविधाएं सभी कोटि के शिक्षक व शिक्षिकाओं को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
7. राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा शिक्षकों के वृत्तिगत उन्नयन हेतु अल्पकालीन पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
8. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले शिक्षक व शिक्षिकाओं के लिए सेवाकालीन अन्य प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जानी चाहिए जो उनके क्षमता उन्नयन में सहायक हो।

4.11 शिक्षा में भाषा और संस्कृति

1. स्कूली शिक्षा की माध्यम भाषा के रूप में स्थानीय भाषाओं को मान्यता दी जाए, भले हीं वे संविधान की आठवी अनुसूची में वर्णित हों या न हों।
2. वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की सुविधा स्कूलों में अवश्य होनी चाहिए, जिसमें सम्प्रेषणीय अंग्रेजी की पढ़ाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
3. तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की सुविधा अंग्रेजी के साथ–साथ स्थानीय स्वीकृत भाषाओं में भी हो।

4.13 स्कूल आकलन और अभिशासन

1. बाल संसद, मीना मंच, स्काउट एंड गाईड, एन.सी.सी. तथा सह–शैक्षिक गतिविधियों को भी किसी विद्यालय के आकलन का आधार बनाया जाना चाहिए।
2. स्कूल में अभिशासन की अवधारणा को धरातल पर उतारने या प्रयोग में लाने के लिए विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को पहले इस अवधारणा से परिचित कराया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षणों का आयोजन कराया जा सकता है।
3. डायट, बी.आर.सी., सी.आर.सी. एवं एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा स्कूलों की कक्षाओं के अनुश्रवण एवं अकादमिक अनुसमर्थन को और सुदृढ़ करने हेतु उक्त संस्थाओं के बीच कार्य–व्यवहार को अकादमिक स्वरूप दिया जाना चाहिए।
4. विद्यालय विकास के लिए समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए।
5. उपलब्धियों के आधार पर विद्यालयों की ग्रेडिंग कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रतिभागियों की सूची

S.No.	Name of Participant	District
1	Dr. Pramila Manoharam	Education Specialist Unicef
2	Dr. S.A. Moin	Director, ODL, SCERT
3	Dr. Gyandeo Mani Tripathi	NRP Hajipur
4	Mr. G.V.S.R. Prasad	NRP Ranchi
5	Dr. Chandan Shrivastava	NRP Delhi
6	Dilip Kumar	SRP Nalanda
7	Shiv kumar	SRP Patna
8	Arshad reza	SRP Nalanda
9	Krit Prasad	SRP Nalanda
10	Shashi Bhushan Pandey	SRP Nalanda
11	Mukund Kumar	STF, ODL, SCERT
12	Pranay Kumar	STF, ODL, SCERT
13	Shriniwas Prasad Singh	STF, ODL, SCERT
14	Naval Kishor Jha	STF, ODL, SCERT
15	Ajeet Kumar	STF, ODL, SCERT
16	Chandramohan Ishar	STF, ODL, SCERT
17	Anil Kumar Tripathi	STF, ODL, SCERT
18	Parth Sarathi Das Gupta	STF, ODL, SCERT
19	Manish Kumar Thakur	STF, ODL, SCERT
20	Braj Bhushan Prasad Verma	STF, ODL, SCERT
21	Tarique Akhtar Ansari	STF, ODL, SCERT
22	Tarkeshwar Nath Sharma	STF, ODL, SCERT
23	Ravi Shankar Tiwari	STF, ODL, SCERT
24	Akhileshwar Prasad	Nalanda
25	Binod Kumar Singh	Aurangabad
26	Kumar Ashwini Chandra	Nalanda
27	Sunil Kumar	Aurangabad
28	Tabbasum Parveen	Aurangabad
29	Ranjeet Kumar Singh	Aurangabad
30	Anu Kumari	Aurangabad
31	Noorullah	Bhagalpur
32	Md. Shah Alam	Vaishali
33	Rinki Kumari	Vaishali
34	Shikha Swaroop	Jamui
35	Anjali Kiran	Munger
36	Aparna	Munger
37	Kumari Nilu Sinha	Nalanda
38	Sapna Kumari	Nalanda
39	Vinod Prasad	Aurangabad

40	Dharmendra Kumar	Vaishali
41	Saurabh Kumar	Samastipur
42	Praveen Kumar Mishra	Aurangabad
43	Manoj Kumar Singh	Aurangabad
44	Vibha kumari	Nalanda
45	Ajay Kumar Vinay	Rohtas
46	Pinku Sahgal	Gaya
47	Ashutosh Kumar	Sheikhpura
48	Sarita Nand Sarswati	Bhagalpur
49	Shikha rani Bhahuguna	Nawada
50	Ajay Kumar	Nalanda
51	Saurabh Kumar	Sasaram
52	Sanjay Kumar	Sasaram
53	Ram Babu Chaurasiya	Samastipur
54	Md. Irfan	Vaishali
55	Dilip Kumar Singh	Rohtas
56	Chanchala kumari	Aurangabad
57	Ajit thakur	Aurangabad
58	Purushottam Sharma	Aurangabad
59	Dinesh Kumar	Nawada
60	Vinod Kumar	Nawada
61	Pradeep Kumar	Sasaram
62	Anandi Kumar Pan	Nawada
63	Shambhu Kumar Chaudhary	Jamui
64	Vinod Kumar	Nawada
65	Nawlesh Kumar	Rohtas
66	Neelam Kumari	Aurangabad
67	Abha Kumari	Aurangabad
68	Alisha Kujur	Aurangabad
69	Ishrat Jaha	Aurangabad
70	Anju Kumari	Samastipur
71	Shahin Praveen	Aurangabad
72	Mukul Kumar	Lakhisarai
73	Pawan Kumar Mehta	Lakhisarai
74	Ram shanker Kumar	Lakhisarai
75	Archana Kumari	Lakhisarai
76	Satya Bhabha	Lakhisarai
77	Anjani Kumar sharma	
78	Sanjay Paswan	Sheikhpura
79	Anupama	Jamui
80	Aparna Singh	Jamui
81	Shalini Kumari	Jamui

82	Anil Paswan	Gaya
83	Narendra Deo	Gaya
84	Lakshmi Kumari	
85	Rashidha Khatoon	Gaya
86	Navin Kumar Sinha	Jhajha
87	Deepak Kumar	Jahanabad
88	Shanker Prasad	Nalanda
89	Reena Kumari	Sheikhpura
90	Gaytri Kumari	Sheikhpura
91	Bharti Kumari	Nalanda
92	Saroj Kumar Paswan	Nalanda
93	Indu Kumari	Nalanda
94	Pritee Kumari	Nalanda
95	rani Chandra	Nalanda
96	Jyoti Kumari	Nalanda
97	Anoj Kumar	Nalanda
98	Rekha kumari	Nalanda
99	Shushil Kumar sinha	Nalanda
100	Farhat jami	Nalanda